

सांध्यनीड़ मानवीय सेवा समिति (संशोधित 21.04.2023)

ग्राम - ढोढसर, जयपुर-सीकर हाईवे, जयपुर - 303712

सांध्यनीड़ सीनियर केयर होम के आवासियों हेतु अनिवार्य नियम एवं आचार-संहिता

1. सांध्यनीड़ में पंजीयन हेतु सभी धर्मों व वर्गों के अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र 60 वर्ष होनी चाहिए और वह शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 2 वर्ष तक का उम्र में शैथिल्य का अधिकार प्रबन्धन समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
2. प्रतिमाह जमा की गई शुल्क की राशि किसी भी परिस्थिति में वापस लौटाई नहीं जावेगी चाहे आवासी उक्त माह/दिनों में अवकाश पर रहा हो।
3. सांध्यनीड़ के आवासियों हेतु निर्धारित शुल्क में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत से 7 प्रतिशत तक शुल्क वृद्धि की जायेगी। यह वृद्धि एक अप्रैल से प्रभावी होगी।
4. सभी भोजन, नाश्ते, चाय व दूध सामूहिक भोजन स्थल पर ही उपलब्ध करवाये जायेंगे। प्रतिदिन का मैन्यू जो समिति निर्धारित करेगी, उसे भोजनशाला के बाहर चस्पा किया जायेगा।
5. किसी भी आवासी को उसके कमरे में भोजन या नाश्ता उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं होगा, केवल अस्वस्थता की स्थिति में चिकित्सक के परामर्श के आधार पर रूम सर्विस उपलब्ध करवायी जायेगी।
6. यदि कोई आवासी अस्वस्थता की स्थिति में बाहर से चिकित्सक को बुलाना चाहे तो इस हेतु खर्च वहन स्वयं आवासी को ही करना होगा। एम्बुलेन्स की सुविधा हेतु शुल्क आवासी द्वारा ही दिया जायेगा।
7. धोबी व नाई की सुविधा हेतु तत्सम्बन्धित सुविधा का शुल्क स्वयं आवासी द्वारा ही देय होगा।
8. मासिक शुल्क प्रथम माह में सिक्योरिटी राशि के साथ और बाद में माह प्रारंभ होने के पहले जमा करवाना होगा।
9. आवासियों को निर्धारित समयानुसार भोजन हेतु निर्धारित स्थान पर पहुंचना होगा।
10. आवासियों को अपनी स्वच्छता एवं अपने कपड़े व कमरे की स्वच्छता का ध्यान रखना होगा।
11. मांसाहार, एल्कोहल एवं नशीली चीजों का सेवन सांध्यनीड़ परिवेश में पूर्णतः वर्जित होगा।
12. आवासी से मिलने आने वाले मेहमानों को चाय, नाश्ते व खाने की सुविधा निर्धारित शुल्क के आधार पर उपलब्ध करवायी जायेगी परन्तु यह सुविधा समिति द्वारा निर्धारित समयानुसार ही उपलब्ध होगी।
13. आवासी को आवंटित कक्ष में दिये गये संसाधनों के रख-रखाव का दायित्व उसका स्वयं का होगा।
14. आवासी के कमरे हेतु अलग विद्युत मीटर लगा हुआ है और उपभोग के अनुसार निर्धारित शुल्क आवासी द्वारा ही देय होगा।
15. यदि आवासी 15 दिन के लिए अवकाश पर जाता है, तो आवासी को अवकाश के दिनों की संख्या के हिसाब से भोजन खर्च पर 100/- रुपये प्रतिदिन के गुणक में मासिक शुल्क में से छूट प्राप्त होगी। यह छूट तभी प्राप्त होगी जब आवासी ने अवकाश पर जाने से पूर्व अवकाश की स्वीकृति ली हो।
16. यदि कोई आवासी अपने लिए परिचारक रखना चाहता है तो परिचारक हेतु निर्धारित शुल्क व सुविधाएं आवासी के समान ही होगी।
17. यदि कोई आवासी ट्रायल हेतु रुकना चाहता है तो निम्नानुसार शुल्क देय होंगे :-
 - (I) सैपरेट फ्लैट के लिए 1000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन
(भोजन खर्च 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन अतिरिक्त)
 - (II) दो व्यक्तियों वाले आवास हेतु 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन
(भोजन खर्च 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन अतिरिक्त)
 - (III) डीलक्स सुईट का चार्ज 3000 रुपये प्रति व्यक्ति/प्रति परिवार प्रति दिन
(भोजन खर्च 400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन अतिरिक्त)
 ट्रायल अवधि की अधिकतम सीमा 15 दिन की होगी।
18. यदि कोई आवासी अपना नाम सांध्यनीड़ पंजीयन से वापस लेना चाहता है तो सांध्यनीड़ छोड़ने की तिथि के 15 दिन पूर्व उसे इस आशय की सूचना लिखित में कार्यालय को देनी होगी। सांध्यनीड़ छोड़ने के 15 दिन बाद अदेय प्रमाण-पत्र देने पर आवासी को उसकी सिक्योरिटी राशि लौटायी जा सकेगी। यदि आवासी के कक्ष में किसी प्रकार की क्षति पायी जाती है तो उसका खर्च आवासी की सिक्योरिटी राशि से काटा जायेगा।
19. आवासी की मृत्यु हो जाने पर उसके संरक्षकों को सूचित किया जायेगा और पार्थिव शरीर उन्हें दे दिया जायेगा। यदि आवासी का कोई अभिभावक नहीं हो तो अंतिम संस्कार आवासी द्वारा पंजीयन के समय उद्घोषित क्रियापद्धति द्वारा कर दिया जायेगा।

20. सांध्यनीड़ में जमा धरोहर राशि (अमानत राशि) पूर्णतः ब्याजरहित होगी जो सांध्यनीड़ छोड़ने के बाद आवासी को अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर लौटाई जाएगी।
21. सभी आवासियों से अपेक्षा होगी कि वो शांतिपूर्ण माहौल बना कर रखें और सभी धर्मों एवं एक-दूसरे का आदर करें।
22. सांध्यनीड़ के फलों वाले पौधों के परिक्षेत्र में प्रवेश निषेध होगा, बिना स्वीकृति के फल तोड़ने हेतु कोई भी अधिकृत नहीं है।
23. सांध्यनीड़ में पधारे अतिथि, गेस्ट हाउस में आवास उपलब्ध होने पर 1000 रुपये प्रति दिन (प्रति व्यक्ति) शुल्क देकर रुक सकते हैं। उनके भोजन का प्रबन्ध निर्धारित समयानुसार व निर्धारित शुल्क (400 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिन) के आधार पर ही संभव होगा। उन्हें अपने पहचान पत्र की फोटो-प्रति कार्यालय में अवश्य जमा करवानी होगी। अतिथियों को आवासी के कक्ष में रुकने की अनुमति नहीं होगी। यदि विशेष परिस्थिति में समिति की स्वीकृति से रुकते हैं तो निर्धारित शुल्क में कटौती नहीं होगी।
24. आवासियों के रूटिन चैकअप हेतु डॉक्टर की विजिट साप्ताहिक होगी।
25. आवासियों से निवेदन है कि वो पंजीयन के समय ही अपने स्वास्थ्य सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी समिति को उपलब्ध करवायें, यदि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और नियमित दवाईयाँ ले रहे हैं तो उसकी जानकारी अवश्य दें।
26. यदि सरकार द्वारा आवासियों हेतु कोई टैक्स लिया जाता है या आवासी की आय कर योग्य है तो वह तदनुरूप आवासियों द्वारा वह देय होगा।
27. शुल्क नकद/डी.डी./लोकल चैक द्वारा ही जमा करवाया जा सकेगा।
28. बेसिक टेलिफोन की सुविधा अग्रिम शुल्क जमा करवाने पर ही विचारणीय होगी।
29. यदि कोई आवासी किसी कारणवश सांध्यनीड़ कैम्पस से बाहर जाता है तो उसे कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी और रात 9.00 बजे से पहले वापस आना होगा। यदि कोई आवासी कार्यालय से स्वीकृति प्राप्त किये बिना कैम्पस से बाहर जाता है या रात्रि 9 बजे तक कैम्पस में नहीं लौटता है तो यह नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। यदि इस गलती का भविष्य में दोहरान किया जाता है, तो उसे आश्रम से निष्कासित किया जा सकता है।
30. आवासी पुस्तकें, पत्र-पत्रिका, अखबार व अन्य पठन सामग्री का लाभ नियत स्थान पर ही प्राप्त कर सकते हैं, इन्हें अपने कक्ष में ले जाकर रखना/पढ़ना वर्जित है।
31. आवासियों से निवेदन है कि वो अपने पास मंहगी ज्वेलरी व अन्य मूल्यवान वस्तुएं नहीं रखें। नकद राशि भी आवश्यकतानुकूल ही रखें।
32. सांध्यनीड़ कैम्पस से किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित करना प्रतिबंधित है।
33. सांध्यनीड़ द्वारा आवंटित उपकरणों के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का उपकरण अपने कक्ष में लगाना निषेध होगा।
34. एक बार पंजीयन होने के बाद सम्बन्धित मासिक शुल्क निरन्तरता में देय होगा। यदि कोई आवासी किसी कारण से दैनिक सुविधाओं का उपयोग नहीं करता है तो भी सम्बन्धित शुल्क में कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
35. रात्रि 10.00 बजे के बाद किसी भी आवासी को सांध्यनीड़ कैम्पस से बाहर जाने और अन्दर आने की स्वीकृति नहीं होगी। विशेष परिस्थिति में ही स्वीकृति दिया जाना संभव होगा।
36. अपने कक्ष से बाहर निकलने से पहले लाइट, पंखे, गीजर आदि को बन्द करना आवासी का दायित्व होगा। यदि बन्द कमरे में अनावश्यक रूप से ये उपकरण चालू पाये जाते हैं तो इस हेतु समिति द्वारा निर्धारित पेनेल्टी जमा करवानी होगी।
37. प्रत्येक कक्ष में टेलिविजन एवं केबल/डिस कनेक्शन (उपलब्धता अनुसार) समिति द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा एवं इस हेतु मासिक शुल्क आवासी द्वारा स्वयं देय होगा।
38. संस्था द्वारा प्रत्येक कक्ष में पंखे एवं गीजर की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त किसी आवासी को यदि कूलर एवं एयर कंडीशनर की आवश्यकता हो तो यह सुविधा समिति द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी। यदि आवासी को रूम हीटर की आवश्यकता है तो वह अपने स्वयं के खर्च पर खरीदेगा।
39. पुलिस द्वारा सत्यापन किये जाने पर यदि आवासी द्वारा दी गई सूचनाएं व पता गलत पाया जाता है, तो यह कारण आवासी के निष्कासन हेतु पर्याप्त होगा।
40. आवासी का किसी भी असामाजिक गतिविधि में लिप्त पाया जाना या नियम विरुद्ध कार्य करना, आश्रम से उसके निष्कासन का पर्याप्त कारण होगा।
41. आवासियों को अपने कक्ष में कुछ भी पकाने हेतु स्वीकृति नहीं होगी।
42. सांध्यनीड़ में प्रवेश हेतु एवं किसी आवासी को निष्कासित किये जाने पर बाह्य व राजनैतिक दबाव अपेक्षित नहीं है।

43. यदि आवासी द्वारा निर्धारित समय पर शुल्क जमा नहीं करवाया जाता है, तो इस सन्दर्भ में उसे एक माह का नोटिस दिया जाएगा यदि नोटिस की समय सीमा समाप्त होने तक भी शुल्क जमा नहीं होता है तो सम्बन्धित आवासी के लिए सांध्यनीड़ बुजुर्ग आवास से निष्कासन हेतु यह पर्याप्त कारण होगा।
44. उक्त नियमों, आचार संहिताओं, सुविधाओं व आवास शुल्क में परिवर्तन करने का सम्पूर्ण अधिकार सांध्यनीड़ मानवीय सेवा समिति के पास सुरक्षित रहेगा।
45. Double Seated Room में कोई भी आवासी यदि एकल व्यक्ति के रूप में रह रहा है, तो दूसरे आवासी के आने पर उसे अपने साथ रखने से मना नहीं कर सकता है।
46. सांध्यनीड़ सीनियर केयर होम में रहना व सुविधाएं प्राप्त करना आवासी का अधिकार नहीं है, बल्कि यह सांध्यनीड़ मानवीय सेवा समिति का एक मानवीय दृष्टिकोण है जिसमें सभी आवासियों के साथ समानता का व्यवहार करते हुए उनका अधिकतम कल्याण करना है।
47. आश्रम में खाद्य पदार्थ उचित ब्रांड एवं मूल्य के ही काम में लिए जाते हैं। किसी आवासी विशेष की इच्छानुसार किसी विशेष ब्रांड व मूल्य की वस्तु अथवा सामग्री का बन्दोबस्त करना आश्रम के लिए मुमकिन नहीं होगा।
48. किसी भी न्यायिक परिवाद के संदर्भ में न्यायिक क्षेत्र जयपुर ही रहेगा।
- आपके आनन्दमयी एवं स्वस्थ जीवन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ!

डॉ.एन.सी. लुनायच
(संस्थापक)

अभ्यर्थी द्वारा घोषणा

मैं श्री/श्रीमती घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने सांध्यनीड़ की आचार संहिता के नियम 1 से 48 तक भली प्रकार से पढ़/समझ लिए हैं।

मैं अपने पूर्ण बोध के साथ इन नियमों से सहमत हूँ मैं सभी नियमों की अनुपालना हेतु बाध्य रहूंगा/रहूंगी। किसी भी नियम की अवहेलना पर सांध्यनीड़ मानवीय सेवा समिति द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा। ईश्वर मेरी उद्घोषणा का साक्षी है। मैंने नियमों की एक प्रति प्राप्त कर ली है।



अंगूठे का निशान

हस्ताक्षर (आवासी)

नाम :
पता :
.....
.....
दूरभाष नं. :

1. हस्ताक्षर (जमानती)

नाम :
पता :
.....
.....
दूरभाष नं. :



अंगूठे का निशान

2. हस्ताक्षर (जमानती)

नाम :
पता :
.....
.....
दूरभाष नं. :



अंगूठे का निशान

ROOM RENT FOR DIFFERENT FACILITIES AT SANDHYANEED OLDAGE HOME

(1) FOUR SEATER ROOM-

Rs. 4200 PER MONTH PER PERSON AND ONE TIME
REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT OF Rs. 5000 PER PERSON

**NOTE - IT'S A FURNISHED BIG ROOM WITH TWO TOILETS AND TWO
WASHROOMS**

(2) DOUBLE SEATED ROOM-

Rs. 6300 PER PERSON PER MONTH ON TWIN
SHARING (FOR TWO PERSONS TOTAL CHARGES WILL BE Rs. 12600). IF
SOMEBODY DOES NOT WANT TO SHARE ROOM THEN CHARGES PER
MONTH WILL BE Rs. 8950. ONE TIME REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT OF
Rs. 11000 PER PERSON ALSO NEEDS TO BE DEPOSITED.

NOTE - IT'S A FURNISHED BIG ROOM WITH ATTACHED TOILET.

(3) SUITE-

Rs. 9450 PER PERSON PER MONTH ON TWIN SHARING (FOR TWO
PERSONS TOTAL CHARGES WILL BE Rs. 18900). IF SOMEBODY DOES NOT
WANT TO SHARE SUITE THEN CHARGES PER MONTH WILL BE Rs. 12600. ONE
TIME REFUNDABLE SECURITY DEPOSIT OF Rs. 21000 PER PERSON ALSO NEEDS
TO BE DEPOSITED

**NOTE - IT HAS TWO ROOMS (BEDROOM AND DRAWING ROOM) WITH
ATTACHED TOILET.**

**ALL THE ABOVE PRICING IS INCLUSIVE OF ROOM RENT AND FOOD
CHARGES.**